# घरेलू कामगार जन-आन्दोलन

**मेधा थत्ते**

20 मार्च 2010 को पुणे की एक बड़ी बस्ती में रहने वाले छः हज़ार लोगों ने जुलूस निकाला और पुणे नगरपालिका के दफ़्तर पर धरना दिया। इस मोर्चे में औरतों ने बड़ी तादात में हिस्सा लिया। उनका कहना था कि नेहरू पुनर्निमाण मिशन के तहत बन रही बिल्डिंग को सिर्फ़ पांच मंजिल तक बनाया जाना चाहिए। लिफ्ट के अभाव में इस बिल्डिंग में पांचवें माले तक रहना मुमकिन है परन्तु उसके ऊपर ग्यारहवें या बारहवें माले पर रहना नामुमकिन है। बिल्डर और उसके साथियों की गुण्डागर्दी के बावजूद ये लोग हार मानने को तैयार नहीं थे और अपनी मांगें लेकर मोर्चे पर डटे हुए थे। इस मोर्चे में सबसे आगे घरेलू कामगार महिलाएं थीं और इसे निकालने के लिए *पुणे शहर मोलकरणी संघटना* ने बहुत मेहनत की थी।

## पुणे शहर मोलकरणी संघटना की शुरूआत

इस संगठन की स्थापना 1980 में हुई और तब से कामगारों के साथ मिलकर उनके लिए संघर्ष करने का सिलसिला निरन्तर जारी है। अक्टूबर 1980 में कंधारे नाम की घरेलू कामगार औरत को उसकी मालकिन ने काम से निकाल दिया। कंधारे का दोष इतना था कि वह बीमार थी और इस वजह से वह काम पर न जा सकी। चार के बजाय छः दिन की छुट्टी कर लेने के कारण उसका काम छूट गया। कमरतोड़ महंगाई के बावजूद कंधारे मात्र नौ सौ रुपये मासिक वेतन पर काम कर रही थी। कंधारे ने उस सोसाईटी की सभी कामगार महिलाओं को इकट्ठा किया और अपनी परेशानी सबके सामने रखी। बीमार होना क्या गुनाह है? महंगाई बढ़ने पर हम अगर अपना वेतन बढ़ाने की मांग करते हैं तो क्या यह गलत है? सभी बातें समूह को वाजिब लगीं और कंधारे के साथ हुए दुर्व्यवहार से नाराज़ होकर, कर्वे रोड पर स्थित सभी हाउसिंग सोसाईटियों में काम करने वाली घरेलू कामगार औरतें काम छोड़कर सड़क

फ़ोटो: पुणे शहर मोलकरणी संघटना

पर निकल आयीं। उनकी मांग थी कि इस तरह किसी को भी काम से नहीं हटाया जा सकता है तथा कम वेतन में गुज़ारा करना मुश्किल है। सब एकत्रित होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। तभी कुछ लोग आए और पूछताछ करने पर औरतों ने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि वे हड़ताल पर हैं। पर जब उनसे पूछा गया कि उनका नेता कौन है तो सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगीं। इसी मीटिंग में घरेलू कामगार औरतों का संगठन शुरू करने का निर्णय लिया गया।

जब कोई संगठन घरेलू कामगारों की एकता बढ़ाने की कोशिश करता है तो यह स्वाभाविक है कि उनके जीवन की अन्य समस्याऐं भी उस संगठन से जुड़ जाती हैं। इसीलिए सवाल चाहे झुग्गी-झोपड़ी का हो, घरेलू हिंसा या राशन का ये कामगार अपनी समस्या लेकर संगठन के पास चली जाती हैं और सब साथ मिलकर हर समस्या का समाधान खोजते हैं।

## दीपावली बोनस

महाराष्ट्र में दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 1970 में घरेलू कामगारों ने बड़े ज़ोर-शोर से इस पर्व पर अपने बोनस की मांग उठाई। अब तक उन्हें इस त्योहार पर एक स्टील का गिलास या ब्लाऊज़ पीस दिया

फोटो: पुणे शहर मोलकरणी संघटना

जाता था। पहली बार दीपावली से पहले पुणे शहर की सड़कों व दीवारों पर पोस्टर दिखाई दिए जिनमें कामगारों की यह मांग थी कि दीपावली के अवसर पर बोनस मिलना चाहिए। *पुणे शहर मोलकरणी संघटना* ने इस मांग को लेकर मोर्चे निकाले और अखबारों में भी अभियान चलाया। शहर के मध्यमवर्गीय लोगों ने इस मांग पर अलग-अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ लोगों ने इसे स्वीकार किया परन्तु कुछ लोगों ने इस मांग को लेकर बहुत नाराज़गी दिखाई। उनका मानना था कि ट्रेड यूनियन व लाल झण्डे वगैरह का चूल्हे-चौके तक आना उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। सभी अखबारों के संपादकीय स्तंभों में घरेलू कामगारों की इस मांग को ज़ायज़ ठहराया गया। इन सबका नतीजा यह निकला अगली दीपावली पर पूरे एक महीने का वेतन घरेलू कामगारों को बोनस के रूप में मिला। यह इस आन्दोलन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आज भी पुणे के सभी इलाकों में दीपावली पर एक महीने की तनख्वाह बोनस के रूप में दी जाती है। महाराष्ट्र सरकार से कामगारों की यह मांग है कि इस बोनस देने की प्रथा को कानूनी संरक्षण दिया जाए ताकि भविष्य में कभी किसी के साथ नाइन्साफ़ी न हो सके।

## संघर्ष हमारा नारा है

*पुणे शहर मोलकरणी संघटना* की स्थापना घरेलू कामगारों को उनका हक़ दिलाने के लिए संघर्ष से हुई थी। यह संघर्ष अब भी जारी है। घर में किए जाने वाले सभी कामों को कमतर समझा जाता है और इन सभी कामों को औरतों की ज़िम्मेदारी माना जाता है। घरेलू काम का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं होता जबकि आज का अर्थशास्त्र कहता है कि हर काम का पारिश्रमिक तय होना चाहिए। इसी कारण घरेलू काम में लगे परिश्रम का मूल्य नहीं दिया जाता और यही परम्परा सालों से चली आ रही है। इन सब बातों को अगर हम सामने रखकर सोचें तभी हम समझ पाएंगे कि घरेलू कामगार औरतें की उचित वेतन की मांग का संघर्ष कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए घरेलू कामगार चाहती हैं कि कामगारों के लिए कानून बने और उन्हें उसका संरक्षण मिले।

## सरकार से मांगें

दिसम्बर 2009 में महाराष्ट्र सरकार ने घरेलू कामगारों के लिए एक कानून पारित किया। इस कानून के अन्तर्गत हर ज़िले में घरेलू कामगारों के लिए एक बोर्ड की स्थापना करने का प्रावधान है। यह बोर्ड घरेलू कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाएगा और उन्हें लागू भी करेगा। परन्तु इस कानून के पारित होने के डेढ़ साल बाद भी बोर्ड की स्थापना नहीं की गई है और न ही योजनाओं के लिए धनराशि जुटाई गई। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बीमारी, पेंशन आदि के लिए संरक्षण देने के लिए सरकार ने योजनाएं प्रस्तुत कीं। अर्जुन सेनगुप्ता कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार इस देश के मज़दूरों में 93 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं। इनके लिए न तो न्यूनतम वेतन का प्रावधान है और न ही इन्हें बीमार होने पर सुविधाएं दी जाती हैं। घरेलू कामगार इन्हीं असंगठित कामगारों का हिस्सा हैं। केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ही केवल कानून बनाकर यह दर्शाना चाहती हैं कि वे कामगारों के हित के लिए काम कर रही हैं। परन्तु बजट से धनराशि आवंटन करना उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं है। महाराष्ट्र के घरेलू कामगार इस संघर्ष में सबसे आगे हैं।

घरेलू कामगारों ने सरकार से यह मांग बार-बार की है कि उन्हें कामगार समझा जाए और सभी कामगारों की तरह उनके लिए भी न्यूनतम वेतन, बोनस, उपदान, प्रसूति सुविधाएं व साप्ताहिक अवकाश के कानूनी प्रावधान निर्धारित किए जाएं।

घरेलू कामगारों की एक अन्य मांग खाद्य सुरक्षा के लिए है। इस दिशा में इनकी दो मुख्य मांगे हैं- राशन

कार्ड पर हर परिवार को 35 किलो अनाज, कम दामों पर, हर महीने मिले तथा कामगारों के लिए मंहगाई भत्ता तय किया जाये। पुणे शहर के हर इलाके में वेतन बढ़ाने के लिए हड़ताल करने की परम्परा बन चुकी है। *पुणे शहर मोलकरणी संघटना* हर दो साल के बाद कामगारों के मार्गदर्शन के लिए एक लाल कार्ड जारी करता है जिससे इन कामगारों को यह अनुमान हो जाता है कि वह कितने वेतन की मांग कर सकती हैं। सामूहिक रूप से आन्दोलन करके घरेलू कामगारों को अपनी शक्ति का एहसास होता है और उनमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ता है।

इस संगठन से सामाजिक व राजनीतिक जानकारी लेकर बहुत सारी घरेलू कामगार इसकी कार्यकर्त्ता बन गई हैं। हक़ों के संघर्ष के साथ-साथ परिवार में होने वाली घरेलू हिंसा के निदान के लिए भी *पुणे शहर मोलकरणी संघटना* ने परामर्श केंद्र स्थापित किए हैं जिससे घरेलू कामगारों को सशक्त बनाया जा सके।